[2022] 14 एस.सी.आर. 446

नेपा लिमिटेड अपने वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी) के माध्यम से

बनाम.

मनोज कुमार अग्रवाल

(सिविल अपील संख्या. 3984 / 2019)

दिसंबर 08, 2022

[संजीव खन्ना और सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्तिगण.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश XXI, नियम 1 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 और 37 - अधिनिर्णय पर ब्याज - अधिनिर्णय की तारीख 14.04.2000 के अनुसार, अपीलकर्ता को प्रतिवादी को Rs. 14,49,300/- के साथ अधिनिर्णयकी तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रतिवर्ष 18% की दर पर ब्याज देने के लिए जिम्मेवार माना गया था। अपीलकर्ता ने धारा 34 के तहत आपत्तियां दर्ज की थीं जो खारिज की गई थीं - धारा 37 के तहत अपील दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने आदेश पास किया जिसमें कहा गया था कि अगर अपीलकर्ता अधिनिर्णय राशि का 50% 10 दिनों के भीतर आदेश की तारीख से पूर्व निष्पादन न्यायालय में जमा करता है, तो शेष राशि के लिए निष्पादन प्रक्रिया ठहर जाएगी। प्रतिवादी को राशि वापसी के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञानपत्र प्रस्तुत करके जमा राशि निकालने का अधिकार था - अंतरिम आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता ने Rs.7,78,280/- जमा किया - प्रतिवादी ने 08.11.2001 को व्यक्तिगत प्रतिज्ञानपत्र प्रस्तुत करके इस राशि को निकाल लिया।क्या प्रतिवादी को अधिनिर्णयके अनुसार मुख्य राशि Rs. 14,49,300/- पर 18% प्रतिवर्ष ब्याज का हक है, तक की अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील का निर्णय होता है या 08.11.2001 को Rs.7,78,280/- से जो ब्याज की राशि थी और जो प्रतिवादी ने 08.11.2001 को निकाल लिया, उस पर 18% प्रतिवर्ष ब्याज चुकाना है। उच्च न्यायालय ने आलोचित आदेश में ठहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 1, उप-नियम (4) और (5) के अनुसार, अपीलकर्ता ने Rs. 7,78,280/- की राशि जमा करने का सूचना न देने की स्थिति में, प्रतिवादी को 18% प्रतिवर्ष ब्याज का अधिकार होगा, भी Rs. 7,78,280/- पर, जिसे

उसने निकाल लिया था, धारा 37 के तहत अपील के निर्णय तक- निर्णय: जब जमा की गई राशि निकाली जाती है और फैसला धारक के खाते में जमा होती है, तो उसे जमा राशि पर ब्याज का हक नहीं है, भले ही फैसला धारक के तरफ से जमा की सूचना जारी करने में असफलता हो - सूचना की अनुपस्थिति में, ब्याज उस तारीख से बंद हो जाएगा जब राशि फैसला धारक के खाते में स्थानांतरित/जमा होती है - अगर सूचना जारी की जाती है, तो ब्याज सूचना की सेवा की तारीख से बंद हो जाएगा।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने :

1.यह स्वीकार और मान्यता की गई स्थिति है कि प्रतिवादी ने 08.11.2001 को Rs. 7, 78, 280/- की राशि निकाली थी, जो अपीलकर्ता ने जमा कराई थी। इस पृष्ठभूमि में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के नियम 1 के उप-नियम (4) के अनुसार सूचना का प्रश्न अमान्य हो जाता है। [अनुच्छेद14]

2.विधायिका की अभिप्रेत स्पष्ट रूप से यह है कि ब्याज फैसला धारक को निर्णय ऋणी को द्वारा चुकाई गई मुख्य राशि पर बंद हो जाएगी। नोटिस जारी करने का उद्देश्य है कि फैसला धारक जमा की गई राशि को निकाल सके। इसलिए, जब जमा की गई राशि निकाली जाती है और फैसला धारक के खाते में जमा होती है, तो वह जमा की गई राशि पर ब्याज का हकदार नहीं है, भले ही निर्णय ऋणी के तरफ से जमा की सूचना जारी करने में विफलता हो। सूचना की अनुपस्थिति में, ब्याज उस तारीख से बंद हो जाएगा जब राशि फैसला धारक के खाते में स्थानांतरित/जमा होती है। अगर सूचना जारी की जाती है, तो ब्याज सूचना की सेवा की तारीख से बंद हो जाएगी। [अनुच्छेद14]

3. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने 05.11.2001 को Rs.7,78,280/- जमा कराई थी। इसलिए, स्थगन केवल शेष राशि के लिए प्रभावित होती थी। शेष राशि पर, निश्चित रूप से, अपीलकर्ता वास्तविक भुगतान की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज चुकाने के लिए जिम्मेदारी होगी । हालांकि, Rs.7,78,280/- की जमा राशि पर, जो ब्याज पर बाकी अदायगी पर समायोजित लागू होती है, प्रतिवादी को दी गई बाकी मुख्य राशि पर ब्याज नहीं होगा। [अनुच्छेद 21]

गुरप्रीत सिंह बनाम संघ लोक सेवा आयोग **(2006) 8 SCC 457 : [2006] 7 सप्ली. SCR 422 - पालन किया गया।**

पी.एस.एल रमनाथन चेट्टियार और अन्य बनाम ***ओ.आर.एम.पी.आर.एम.*** *रमनाथन चेट्टियार* **AIR 1968 SC 1047 : 1968 SCR 367 - पृथक किया गया।**

राजस्थान राज्य बनाम जे.के.एस सिंथेटिक्स और अन्य **(2011) 12 SCC 518 : [2011] 10 SCR 993 ;** *रौनक इंटरनैशनल लिमिटेड बनाम आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य* **(1999) 1 SCC 492 : [1998] 3 सप्ली. SCR 421** और *हैडर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य* **(2015) 2 SCC 189 : [2014] 14 SCR 1029 - संदर्भित किया गया।**

केस न्यायिक संदर्भ

[2006] 7 सप्ली. SCR 422	**पारा 14**	**पर पालन किया गया**
[1968] SCR 367	**पारा 17**	**पर पृथक किया गया**
[2011] 10 SCR 993	**पारा 22**	**पर संदर्भित किया गया**
[1998] 3 सप्ली. SCR 421	**पारा 23**	**पर संदर्भित किया गया**
[2014] 14 SCR 1029	**पारा 24**	**पर संदर्भित किया गया**

सिविल अपीलाती क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3984 वर्ष 2019

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के जबलपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.06.2017 में सिविल पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 368 /2012.

सुमीर सोधी, अमन नंद्राजोग, देवाशिष तिवारी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी-स्वयं प्रस्तुत

न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया गया।

संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति.

1. 14.04.2000 की तारीख के अधिनिर्णय के अनुसार, अपीलकर्ता, M/s नेपा लिमिटेड, को प्रतिवादी, मनोज कुमार अग्रवाल को Rs. 14,49,300/- चुकाने की जिम्मेदारी थी। यह राशि संतुलन सुरक्षा जमा की प्रतिपूर्ति के लिए थी, जिसे मनोज कुमार अग्रवाल ने 25.10.1996 की तारीख की समझौते के अनुसार किया था। इस अधिनिर्णय में यह तय किया गया था कि Rs. 14,49,300/- को अधिनिर्णय की तारीख से चुकाया जाने तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज सहित चुकाया जाएगा

2. यह स्वीकृत है कि अपीलकर्ता ने 22.10.2001 को प्रतिवादी को Rs. 1,50,000/- की राशि चुकाई थी। यह भी अविवादित है कि यह भुगतान ब्याज के खिलाफ समायोजित/मुआवजा किया जाएगा, और अधिनिर्णय की मुख्य राशि, अर्थात Rs.14,49,300/-से नहीं।

3. अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 [1] की धारा 34 के तहत दाखिल की गई आपत्तियाँ 28.02.2001 को खारिज की गई थीं।

4. अपीलकर्ता ने इस पर अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय की प्रभाग पीठ के सामने अपील की थी। 30.10.2001 को, प्रभाग पीठ ने एक आदेश पारित किया जिसमें, आदेश की तारीख से दस दिन के भीतर अपीलकर्ता के पुरस्कृत राशि का 50% न्यायिक अदालत के सामने जमा करने पर, शेष राशि के लिए प्रवृत्ति प्रक्रिया रोकी जाने थी। प्रतिवादी को जमा राशि को वापस लेने का अधिकार था, यदि उसे ऐसा निर्देशित किया जाता है, तो अपील के अंतिम निपटान की तारीख से तीन महीने के भीतर व्यक्तिगत उपक्रम देने के बाद। संपत्तियों को संलग्न करने का निर्देश/आदेश अपीलकर्ता को जारी रखना था

5.अंतरिम आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता ने 05.11.2001 को Rs. 7,78,280/- जमा कराए थे। 08.11.2001 को, प्रतिवादी ने 30.10.2001 के आदेश के अनुसार व्यक्तिगत उपक्रम देने के बाद Rs.7,78,280/- वापस लिए।

6. अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को 02.02.2012 को प्रभाग पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।

7. यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने भी अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियाँ दर्ज करके अधिनिर्णय को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस पर, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दाखिल की थी जिसे भी खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, यह कहा जाता है कि दोनों, अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने इस अदालत के सामने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

8. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित वकील मानते हैं कि 08.11.2001 को प्रतिवादी द्वारा वापस लिए गए Rs.7,78,280/- का भुगतान पहले ही फैसले के अनुसार चुकाने योग्य ब्याज तत्व के खिलाफ समायोजित/मुआवजा किया जाएगा, जो इस मामले में

अधिनिर्णय है। शेष राशि मुख्य राशि के खिलाफ समायोजित/मुआवजा की जाएगी। इस सीमा में भी, कोई विवाद नहीं है।

9. हमारे सामने विवाद है कि क्या प्रतिवादी को अधिनिर्णय के अनुसार मुख्य राशि Rs. 14,49,300/- पर 18% की दर पर ब्याज का अधिकार है, जो अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के निर्णय तक 02.02.2012 को देय है, या 08.11.2001 को Rs.7,78,280/- से ब्याज पर होने वाली देय राशि के समायोजन/मुआवजा के बाद नेट मुख्य राशि^2 पर 18% की दर पर ब्याज देय है, जो 08.11.2001 को प्रतिवादी द्वारा वापस लिया गया था।

10. 1.08.2012 को प्रतिवादी ने Rs. 3,97,382/- के साथ ब्याज की राशि की पुनर्प्राप्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था। 18.08.2012 को प्रतिवादी ने एक और आवेदन दाखिल किया था, जिसमें कहा और दावा किया गया था कि वह 02.02.2012 को अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के निर्णय तक Rs.14,06,259/-, अर्थात, अधिनिर्णय मुख्य राशि पर 18% ब्याज के साथ ब्याज का हकदार है।[3]

11. निष्पादन न्यायालय ने 05.10.2012 की तारीख के आदेश के माध्यम से तय किया कि प्रतिवादी को प्रति वर्ष 18% की दर पर ब्याज सहित Rs. 3,97,382/- की राशि का फैसला है।

12. प्रतिवादक ने 31.10.2012 को Rs. 4,15,629/- की राशि चुका दी। भुगतान का हिसाब इस आधार पर किया गया था कि निष्पादन न्यायालय ने फैसला राशि को Rs. 3,97,382/- के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और इसमें कही गई राशि पर देय ब्याज भी शामिल था।

13. आपत्तिजनक रूप से, प्रतिवादी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च न्यायालय के सामने एक सिविल संशोधन दखिल किया, जिसे 19.06.2017 की आलोचित आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें इस बात का पालन किया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 190के आदेश XXI, नियम 1, उप-नियम (4) और (5) [4] के अनुसार, प्रतिवादक ने Rs. 7,78,280/- की राशि जमा करने का सूचना देने में विफल रहा है, प्रतिवादी को प्रति वर्ष 18% की दर पर ब्याज का हक होगा, यहाँ तक कि Rs. 7,78,280/- की राशि पर भी, जिसे उसने वापस लिया था, अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अपील के निर्णय तक, 02.02.2012 पर।

14. हमारी राय में, उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थायी है और कानून के विपरीत है। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार और स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी ने Rs. 7,78,280/- की राशि वापस ली थी, जिसे प्रतिवादक ने 08.11.2001 को जमा किया था। इस पृष्ठभूमि में, सीपीसी के आदेश XXI के नियम 1 के उप-नियम(4) के अनुसार सूचना का प्रश्न असंबंधित हो जाता है। *गुरप्रीत सिंह बनाम संघ भारत,* (2006) 8 SCC 457 में, इस न्यायालय की पाँच न्यायमूर्तिगण की पीठ ने सीपीसी के आदेश XXI के नियम 1 को परीक्षण किया था, अधिनियम संख्या 4 के 1976 द्वारा प्रतिस्थापन के बाद, और निरीक्षण किया कि प्रतिस्थापन का प्रभाव यह है कि न्यायालय में फैसले की राशि की जमा और इसकी सूचना देने पर, दावेदार को ऐसी जमा की गई सूचना की तारीख से ब्याज की समाप्ति होगी। सीपीसी के आदेश XXI के नियम 1 ने भी अन्य निर्दिष्ट मोडों, अर्थात पोस्टल मनी ऑर्डर, बैंक या लिखित रूप में साक्षात्कार में भुगतान के माध्यम से फैसले के दावेदार को न्यायाधीश द्वारा भुगतान करने का सिद्धांत बनाया है, जिसमें पैसे प्रस्तुत की जाती हैं। विधायिक इरादा स्पष्ट रूप से यह है कि न्यायाधीश द्वारा फैसले के दावेदार को भुगतान की गई मूल राशि पर ब्याज बंद हो जाएगा। सूचना का मुद्दा यह है कि फैसला धारक जमा की गई राशि को वापस ले सके। इसलिए, जब जमा की गई राशि वापस ली जाती है और फैसला धारक के खाते में जमा होती है, तो वह जमा की गई राशि पर ब्याज का अधिकारी नहीं होता, भले ही फैसले के ऋणी की ओर से जमा की सूचना जारी करने में असफलता हो। सूचना की अनुपस्थिति में, ब्याज तब बंद हो जाएगा जब राशि फैसला धारक के खाते में स्थानांतरित/जमा की जाती है। अगर सूचना जारी की जाती है, तो ब्याज सूचना की सेवा की तारीख से बंद हो जाता है।

15. वर्तमान मामले में, 30.10.2001 की तारीख का आदेश प्रतिभागियों की उपस्थिति में पास किया गया था, जिसमें प्रतिवादी भी शामिल थे। इसके बाद, प्रतिवादी ने 05.11.2001 को कार्यवाही करते हुए कोर्ट में Rs. 7,78,280/- जमा करवाए। प्रतिवादी को जमा की गई राशि की सूचना थी और इस प्रकार उसने उक्त राशि, अर्थात् Rs. 7,78,280/- को 08.11.2001 को वापस ले लिया।

16 .प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, ने इस अदालत के निर्णय पर भरोसा किया *है पी.एस.एल रमनाथन चेट्टियार और अन्य बनाम* ***ओ.आर.एम.पी.आर.एम.*** *रमनाथन चेट्टियार* AIR 1968 SC 1047 और 13.02.2020 को C.A. संख्या 3867 का 2010 में, *दिल्ली विकास प्राधिकरण के उसके उपाध्यक्ष बनाम भाई सरदार सिंह और पुत्र* का निर्णय दिया था, तारीख 30.10.2001 का आदेश शर्तीय होते हुए और Rs. 7,78,280/- की वापसी प्रतिवादी द्वारा दी गई व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के अनुसार शर्तीय आदेश में होती है, इसलिए 18% की दर पर Rs. 7,78,280/- पर ब्याज का भुगतान का निर्देश अधिनियम की धारा

37 के तहत अपील के निर्णय के लिए 02.02.2012 तक जारी रहेगा। यही समय था जब पूरा अधिकार और भुगतान प्रतिवादी में स्थानांतरित हुआ।

17. हमारी राय में, जो प्रस्तुति दी गई है वह गलत है और यह कानून के विपरीत है। *रमनाथन* (उपरोक्त) में, जो राशि न्याय-रिणी द्वारा जमा की गई थी, उसे डिक्री धारक ने नहीं निकाला। रमनाथन (उपरोक्त) के फैसले में अनुच्छेद12 में विशेष रूप से कहा गया है कि *"सिद्धांत पर, हमें लगता है कि एक न्याय-रिणी द्वारा अदालत में एक राशि जमा करने का तथ्य, निष्पादन की डिक्री की स्थिति को रोकने के लिए शर्तों पर जिसमें डिक्री धारक इसे सुरक्षा प्रदान करके बाहर निकाल सकता है, डिक्री धारक को पैसे का शीर्षक नहीं पास करता है। वह अगर चाहता है तो आदेश के अनुसार पैसे को बाहर निकाल सकता है, लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं है जो न्याय-रिणी को इसे बाहर निकालने से रोक सके, कहते हैं, स्थावर संपत्ति, अगर अदालत उसे ऐसा करने की अनुमति देती है और उसकी अपील हारने पर CPC के आदेश XXI नियम 1 के अनुसार डिक्री की राशि को अदालत में रखती है।"* उपर्युक्त विवरण स्पष्ट करता है कि इसमें डिक्री धारक ने पैसा नहीं निकाला था। इस फैसले के अंत में दर्ज है कि जमा की गई राशि अनिश्चित थी, और डिक्री धारक को अपील के निपटान से पहले कभी भी राशि निकालने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसे करने के लिए, उसने आदेश के अनुसार सुरक्षा प्रदान करनी थी, जो उसने प्रदान नहीं की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह फैसला CPC के आदेश XXI के नियम 1 के प्रतिस्थापन से पहले है जो अधिनियम संख्या 104 के 1976 में 1 फरवरी 1977 [6]

18. इस अदालत के फैसले में *दिल्ली विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)* में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अदालत में जमा की गई पैसे को ठेकेदार भाई सरदार सिंह और पुत्रों द्वारा नहीं निकाला गया था। वास्तव में, भाई सरदार सिंह और पुत्रों द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें उन्हें पैसे निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में, यह ठहराया गया कि जमा राशि CPC के आदेश XXI के नियम 1 के अनुसार भुगतान नहीं थी। संघटन अधिनियम, 1940 *के तहत*, अधिनिर्णय को अदालत के नियम बनाए जाने के बाद क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए, संघटन अधिनियम, 1940 के तहत अधिनिर्णय स्वयं अदालत की डिक्री नहीं थी। अधिनियम की प्रावधानों के तहत, अर्थात्, अधिनियम, 1996, एक अधिनिर्णयअदालत की डिक्री है और क्रियान्वित है, जब तक अधिनियम की धारा 34[7] के तहत आपत्तियां दर्ज नहीं की जाती हैं।

19. वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां पेश की गई थी और इसे 28.02.2001 को खारिज कर दिया गया। इस पर, अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया जा सकता था।

20. *दिल्ली विकास प्राधिकरण (उपरोक्त)* में, कोर्ट में जमा राशि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ब्याज की जिम्मेदारी के पहलु पर, यह तय किया गया कि यह आवश्यक नहीं था। कारण यह था कि अधिनिर्णय धारक को न्यायापारित द्वारा की गई जमा राशि का पता था। इसलिए, अधिनिर्णय धारक को जमा की गई सूचना की सेवा की गई थी, इसे तर्क और तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार, यह तय किया गया कि अधिनिर्णय प्राप्तकर्ता, निर्णय के बाद भी ब्याज के लिए अधिकारित नहीं था, भले ही न्यायापारित ने सी.पी.सी के आदेश XXI के नियम 1 के उप-नियम (4) के तहत किसी औपचारिक सूचना की सेवा नहीं की थी।

21. वर्तमान मामले में, अपीलीय अदालत ने धारा 37 के तहत प्रस्तुत की गई अपील पर ठहराव प्रदान किया, इस शर्त के साथ कि अपीलकर्ता 50% राशि जमा करेगा। 05.11.2001 को अपीलकर्ता द्वारा Rs. 7,78,280/- जमा किया गया था। इसलिए, ठहराव प्रदान केवल शेष राशि के लिए प्रभावित होता था। शेष राशि पर, निश्चित रूप से, अपीलकर्ता वास्तविक भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 18% की दर पर ब्याज चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, Rs.7,78,280/- की चुकाई गई राशि पर, ब्याज पर होने वाली जमा राशि को समायोजित/अधिग्रहित करने के बाद, प्रतिवादी को चुकाई गई शेष मूल राशि पर ब्याज नहीं होगा।

22. प्रतिवादी ने इस सिद्धांत पर भरोसा किया है कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में मिल जाता है। सिविल अपील नं। 2417 का 2022 में, 25.03.2022 को निर्णय लिया गया था, जिसमें *उत्तर प्रदेश के राज्य द्वारा सचिव और ओर्स के खिलाफ प्रेम चोपड़ा* का नाम लिया गया था, इस अदालत ने एक पूर्व निर्णय को संदर्भित किया था जिसमें *राजस्थान राज्य बनाम जेके.एस. सिंथेटिक्स और अन्य.*, (2011) 12 SCC 518, जहां यह देखा गया है कि जहां एक स्थगितता अंतरिम आदेश के रूप में दी जाती है तो अंतरिम आदेश के लाभार्थी को ब्याज के साथ राशि चुकानी होती है। उपर्युक्त टिप्पणियां, वास्तव में, अपीलकर्ता का समर्थन करती है और प्रतिवादी का नहीं। टिप्पणियों में कहा गया है कि भुगतान करने वाला व्यक्ति मूल राशि के साथ ब्याज चुकाएगा जो अनुबंध या अधिनियम में निर्दिष्ट है क्योंकि उसने स्थगितता के आदेश का लाभ उठाया। ब्याज केवल उस राशि पर चुकाया जाएगा जो अदा नहीं की गई है। यह अनुचित होगा कहना कि व्यक्ति को ब्याज चुकाना पड़ेगा भी उस राशि के प्रति, जो अदा की गई है और फ़ैसला धारक को सौंप दी गई है।

23. इस अदालत ने *रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य में,* (1999) 1 SCC 492, में निरीक्षण किया है कि जिन पक्षों की पहल पर, अंतरिम आदेश प्राप्त होते हैं, उन्हें अंतरिम आदेश के परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के संदर्भ में प्रासंगिक हैं जिसमें अपीलकर्ता को उस राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज चुकाना होगा जो प्रतिवादी को अदा नहीं की गई थी। हालांकि, जो राशि वापस ली गई और प्रतिवादी को चुकाई गई थी, कोई ब्याज दायित्व उत्पन्न नहीं होगा और चुकाया जाएगा।

24 प्रतिवादी तर्क करता है कि Rs. 7,78,280/- की भुगतान की स्थिति में होने के कारण, यदि अपीलकर्ता धारा 37 के अधिनियम, 1996 में अपील में सफल होते तो प्रतिवादी को उस राशि का पुनः प्रतिपादन करना पड़ता। इस तर्क से मुझे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यदि अपीलकर्ता अपील में सफल होते, तो चुकाई गई पूरी राशि पुनः प्रतिपादित होती। प्रतिबद्धता कठिन नहीं थी, और यह केवल तब कार्य करता, जब Rs. 7,78,280/- को प्रतिवादी द्वारा वापस नहीं किया जाता। प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से पैसा इस्तेमाल और उपयोग किया था। अपीलकर्ता के पास प्रतिवादी को चुकाए गए पैसे पर कोई अधिकार नहीं था, जिसे वह जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता था। कोई चार्ज नहीं था। पैसा परिवर्तनीय होता है और प्रतिवादी के पास उपलब्ध अन्य राशियों के साथ मिश्रित हो जाता है। प्रतिपादन का अधिकार भुगतान की स्थिति में नहीं बदलता। ब्याज को न्यायिक रूप से परिभाषित किया गया है जैसे कि उधार लिए गए, या बचा लिए गए, या उस व्यक्ति को नहीं दिए गए पैसे के लिए चुकाया जाने वाला मूल्य, आमतौर पर एक वर्ष में राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।यह कानून द्वारा अनुमति दी गई मुआवजा की प्रकृति में है या पक्षों द्वारा तय की गई, पैसे के उपयोग या परहेज या इसकी गिरफ्तारी के लिए क्षति के लिए।[8] वर्तमान मामले के संदर्भ में, ब्याज वह मुआवजा होगा जिसे अपीलकर्ता को प्रतिवादी को देना होगा, पैसे के उपयोग या वंचित करने के लिए। इसलिए, एक बार पैसा प्रतिवादी को दिया जा चुका था, पैसे के उपयोग के लिए मुआवजा के रूप में ब्याज उत्पन्न नहीं होगा [9]

25. उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और 19.06.2017 के तारीखवाले आपत्तिजनक आदेश को अस्वीकार करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता को Rs.14,49,300/- पर प्रतिवर्ष 18% की दर पर ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था, अवार्ड की तारीख से धारा 37 के अधिनियम के तहत 02.02.2012 की अपील के निर्णय तक। हम मानते हैं कि अपीलकर्ता को 08.11.2001 से चुकाया जा चुका/चुकाने योग्य था,

तब तक Rs.9,13,483.00/9,30,300.00[10] (सही राशि को कार्यशाला द्वारा गणना और तय किया जाएगा) पर 18% की दर पर ब्याज चुकाने का दायित्व होगा।

26. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अधिक भुगतान किया है और हमारा ध्यान अनुलग्नक (P-12) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने कुल Rs. 56,70,096/- की राशि चुकाई है। हम उस पहलु में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यह संख्या और गणना से संबंधित होगा। अगर प्रतिवादी को अधिक भुगतान किया गया होता तो, अपीलकर्ता को सीपीसी की धारा 144 को लागू करने का अधिकार है और उसे कानून में उपलब्ध उपयुक्त उपायों की शरण लेने का अधिकार है।

27. अपील उपरोक्त शर्तों में स्वीकृत है।

28 .बाकी अनुप्रेष्य(ओं) यदि कोई हो, वह निपटा दिया जाएगा।

अनुलग्ध 'ए'

एनीपीए लिमिटेड द्वारा उसके वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी) के माध्यम से ब्याज की गणना की चार्ट - अपीलकर्ता

S. No.	विशेष रूप से राशि	इन INR	
A.	14.04.2000 को अधिनिर्णयके अनुसार मूल राशि	14,49,300/-	
B.	ब्याज की दर @ 18% एक वर्ष के लिए	एक वर्ष के लिए 2,60,874	प्रति दिन 714.72
C.	22.10.2001तक ब्याज	3,96,313	
D.	22.10.2001 को भुगतान की गई राशि (@ pg 175)	(1,50,000)	

E.	शेष ब्याज	2,46,313 (C-D)
F.	तक ब्याज (प्रतिक्रियादाता द्वारा 50% पुरस्कृत राशि का निष्कासन की तारीख)	12,150
G.	कुल	2,58,463 (E+F)
H.	08.11.2001 को जमा की गई राशि का 50%	7,78,280
I.	ब्याज के प्रति समायोजित	(2,58,640)
J.	मूलधन के प्रति समायोजित	5,19,817 (H-I)
K.	08.11.2001 को नया मूलधन	9,13,483

ब्याज की गणना की शीट मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा- प्रतिवादी

. No.	विशेष रूप से राशि	Amount (in INR)
A.	14.04.2000 को अधिनिर्णयके अनुसार मूल राशि	14,49,300/-
B.	ब्याज की दर @ 18% - -	- -
C.	22.10.2001 तक ब्याज	3,97,028
D.	22.10.2001 को भुगतान की गई राशि (@ pg 175)	(1,50,000)
E.	शेष ब्याज	2,47,028 (C-D)

F.	08.11.2001 तक ब्याज (प्रतिक्रियादाता द्वारा 50% पुरस्कृत राशि का निष्कासन की तारीख)	12,150
G.	कुल	2,59,178 (E+F)
H.	08.11.2001 को जमा की गई राशि का 50%	7,78,280
I.	ब्याज के प्रति समायोजित	(2,59,178)
J.	मूलधन के प्रति समायोजित	5,19,102 (H-I)
K.	08.11.2001 को नया मूलधन	9,30,300

बिभूति भूषण बोस की अपील स्वीकृत हुई।
(सहयोगी : प्रीतम भारती, LCRA)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित